

समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश
जनपद बिजनौर

उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी तथा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र

निर्देश :-

- 1- आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय रुपये बारह हजार से अधिक न हो।
- 2- आवेदक पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त मूल आमदनी का प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
- 3- पुत्री की शादी की दशा में वर एवं पुत्री की उम्र का प्रमाण पत्र (सी0एम0ओ0 द्वारा अथवा विद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणित सर्टीफिकेट) अवश्य संलग्न करें।
- 4- शादी अनुदान हेतु आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में शादी होने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। शादी के पश्चात आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- बीमारी की दशा में शासन द्वारा संचालित किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी बीमारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
- 6- विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री की शादी के मामलें मे आवेदिका द्वारा जिला प्रोवेशन अधिकारी के यहां से विधवा पेंशन प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
- 7- शादी / बीमारी की स्थलीय जांच के लिए पात्रता के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता द्वारा झूठी अथवा गलत सूचना दिये जाने पर उसके विरुद्ध कठोर / विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- आवेदन पत्र की स्थलीय जांच ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में लेखपाल अथवा समाज कल्याण पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी।
- 9- जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच आख्या में यदि किसी अपात्र व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत की संस्तुति की जाती है तो एसी संस्तुति के आधार पर भुगतान की गई समस्त धनराशि सम्बन्धित जांचकर्ता से वसूल कर ली जायेगी।
- 10- अनुदान की स्वीकृति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1- आवेदक का पूरा नाम श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....
जाति.....(प्रमाण पत्रसंलग्न करें)

2- स्थानीय पता.....

3- वार्षिक आय..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

यहां आवेदक का
प्रमाणीत फोटो
चस्पा की जाय

4- बीमारी की दशा में :-

(क) इलाज किस चिकित्सालय में कराया जा रहा है.....

(ख) बीमारी का प्रमाण पत्र.....(संलग्न करें)

(ग) रोगग्रस्त होने पर अतिरिक्त धनराशि जिसके इलाज हेतु आवश्यकता है.....

5- पुत्री की शादी के अनुदान की दशा में:-

(अ) पुत्री का नाम.....उम्र.....(पुत्री एवं वर की शादी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ब) पुत्री के पिता का नाम.....

(स) लड़के (वर का नाम)..... उम्र

(द) लड़के के पिता का नाम.....

(य) लड़के का पूरा पता ग्राम/महोल्ला.....पोस्ट.....जिला.....

(र) शादी के लिए निर्धारित तिथि.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें.)

6- परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या.....

7- आय के स्रोत (यदि कोई हों)

आवेदक के हस्ताक्षर/नि0अं.....

आवेदक का नाम

पता ग्राम / महोल्ला.....